भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-571

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बिजली की कमी

571. श्री सन्तियुस कुजूरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विद्युत परियोजनाओं की कमी के कारण उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रोजाना के बिजली-कर में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बिजली की कमी को समाप्त करने के लिए वहां नई विद्युत परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 16 से अक्तूबर, 16 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में व्यस्ततमकालीन विद्युत कमी, पिछले वर्ष की **संगत** अवधि में 8.4% से घटकर 0.5% रह गई है। इसी प्रकार से, चालू वर्ष में ऊर्जा की कमी, पिछले वर्ष की **संगत** अवधि में 6.9% से घटकर 3.5% रह गई है।

(ग) और (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, विद्युत कटौती करने सहित, विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्र स्थापित करने और वहां से राज्य सरकारों को विद्युत के आबंटन द्वारा ही उनके प्रयासों का अनुपूरण करती है।

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया है। इस संबंध में, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि. (नीपको) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नीपको के दो गैस आधारित विद्युत स्टेशन तथा एक जल विद्युत परियोजना पर केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के मामले में, असम में 291 मेगावाट असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (एजीबीपी) तथा त्रिपुरा राज्य में 135 मेगावाट अगरतला गैस टर्बाइन कंबाइन साइकल पावर प्लांट (एजीटीसीसीपी) को प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के अंतर्गत गैस मूल्य पर 40% तक की छूट दी गई है। एजीबीपी के लिए एक मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी), और एजीटीसीसीपी के लिए 0.75 एमएमएससीएमडी की मात्रा तक बाजार मूल्य का 60% गैस मूल्य प्रभारित किया जाता है जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विद्युत की लागत में कमी आती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में 12वीं योजना **अवधि** के दौरान कुल 1103.1 मेगावाट की छः ताप विद्युत इकाईयां/मॉड्यूल चालू की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 625.5 मेगावाट की पाँच ताप विद्युत इकाईयां/मॉड्यूल निर्माणाधीन हैं जिनसे 12वीं योजना अवधि में तथा इसके बाद लाभ मिलेगा।

इस समय, पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय ग्रिड से भली-भांति जुड़ा हुआ है और पूर्वोत्तर राज्य, दिशा-निर्देशों अनुसार, विद्युत विनिमय के माध्यम सहित बाजार से विद्युत खरीद सकते हैं क्योंकि बाजार में पर्याप्त मात्रा में अधिशेष विद्युत उपलब्ध है।

एनटीपीसी ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए असम में बोगाईगांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की है। तथापि, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने इस विद्युत संयंत्र से विद्युत के डिएलोकेशन के लिए अनुरोध किया है।

****